

राजस्थान के मुख्य न्यायाधीशने कथिा 'इंटीग्रेटेड साफ्टवेयर सोल्युशन वदि ई-प्रजिन' प्रोग्राम को ई-लॉन्च

चर्चा में क्यों?

13 दसिंबर, 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के जयपुर बेंच के सभागार में राज्य के मुख्य न्यायाधीश पंकज मतिथल ने 'इंटीग्रेटेड साफ्टवेयर सोल्युशन वदि ई-प्रजिन' प्रोग्राम को ई-लॉन्च कथिा ।

प्रमुख बदि

- मुख्य न्यायाधीश पंकज मतिथल ने बताया क 'इंटीग्रेटेड साफ्टवेयर सोल्युशन वदि ई-प्रजिन' से न्यायालय के प्रकरणों से जुड़े वचिराधीन बंदियों की सभी सूचना जेल प्रशासन के ई-प्रजिन साफ्टवेयर से प्राप्त की जा सकेगी ।
- स्टथिरिगि कमेटी के अध्यक्ष न्यायाधीश अरूण भंसाली के मार्गदर्शन में राजस्थान उच्च न्यायालय की तकनीकी टीम ने अल्प अवधि में ही उच्च न्यायालय एवं ज़िला न्यायपालिका के समस्त न्यायालयों के लथि इस प्रोग्राम का नरिमाण कथिा है ।
- राज्य की वभिन्न जेलों में नरिद्ध बंदियों के लथि बनाए गए ई-प्रजिन साफ्टवेयर प्रोग्राम को न्यायालय में चल रहे केस इन्फोरमेशन ससि्टम साफ्टवेयर से इंटीग्रेट करते हुए यह प्रोग्राम बनाया गया है ।
- कार्यक्रम में न्यायाधीश ने राज्य के समस्त न्यायकि अधिकारियों को वचिराधीन बंदियों के रमिांड व वचिरण में उनकी उपस्थति अधिकि से अधिकि वडिथिो कांफ्रेन्सगि के माध्यम से करवाने और ऐसे प्रकरणों के शीघ्र नसितारण की भी अपील की है ।
- ई-लॉचगि कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश ने बताया क ऐसा करने वाला राजस्थान उच्च न्यायालय पूरे देश का प्रथम उच्च न्यायालय बन गया है । कोवडि-19 महामारी के समय से ही कम्प्यूटराईजेशन, डजिटीलाईजेशन, ई-फाइलिंग, पेपरलेस कोर्ट व वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में तकनीकी क्रांति आई है ।
- कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनकि न्यायाधीश संदीप मेहता ने बताया क इस प्रोग्राम के माध्यम से कसिी भी मुकदमे में यदिकोई अभयुक्त जेल में न्यायकि अभरिक्षा भुगत रहा है तो न्यायालय को उसकी समस्त जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाएगी । ये जानकारी उस मामले के न्यायपूरण एवं शीघ्र वनिश्चय के लथि काफी उपयोगी साबति होगी ।
- इसके अलावा जेल में अभरिक्षारत अभयुक्त को भी अपने मामले की प्रगति के बारे में पूरण जानकारी मलिंगी, जो क उसका संवैधानकि अधिकार भी है ।